

शायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा  
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 कैम्प ~~शक्करगढ़~~)

प्रकरण संख्या 740/23

दिनांक 22/06/23

उनवान

श्री कैलाश चन्द्र पुत्र कन्हैया लाल सुवालका


बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार  
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

—: आदेश :-


प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का शक्करगढ़ भू.अ.नि. शक्करगढ़ एवं तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट / अनुशाषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम शक्करगढ़ प. ह. शक्करगढ़ की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 166 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.स.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति /ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है।
1	प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम व प्रार्थी की जाति	कैलाश पुत्र काना जाति कलाल	कैलाश चन्द्र पुत्र कन्हैया लाल सुवालका

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

- तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
- प्रार्थी कैलाश चन्द्र पुत्र कन्हैया लाल सुवालका
- रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा